

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प.7(10)प्राशि/आयो/2019

जयपुर, दिनांक: 01-11-2022

—: आदेश :—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.31(1)शिक्षा-4/2015 जयपुर दिनांक 07 सितम्बर, 2016 एवं प.7(1)प्राशि/आयो/2016 जयपुर दिनांक 20.09.2016 के द्वारा के द्वारा D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह का इंटरशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयों में किया जाना निश्चित किया गया है।

सत्र 2022-23 में राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटरशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय/निजी विद्यालय का आवंटन बैठक दिनांक 13.11.2017 के कार्यवाही विवरण प.7(5)प्राशि/आयो/2017 जयपुर, दिनांक 22.11.2017 के अनुसार करने हेतु सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को इंटरशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं :-

1.0 सामान्य निर्देश

1.1 D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटरशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा जिला स्तर पर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी :-

- | | |
|---|-------------|
| I. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा | —समन्वयक |
| II. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा | —सदस्य |
| III. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) | —सदस्य |
| IV. अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, शैक्षिक प्रकोष्ठ
(कार्यालय जि.शि.अ. प्रा.शि. मुख्यालय) | —सदस्य सचिव |

1.2 राजस्थान में संचालित निजी विश्वविद्यालयों हेतु पोर्टल से इंटरशिप आवंटन ऐच्छिक रहेगा।

1.3 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में इंटरशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा इंटरशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। इसी प्रकार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटरशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान द्वारा इंटरशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिस पर संबंधित पदेन ग्राम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) (ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए) एवं सी.आर.सी. (ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए) के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावेगा।

